फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ

राज0 सरकार बनाम संतोष

किस्म मुकदमा धारा 177 आर.टी.एक्ट मुकदमा न0 251 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादीया की ओर से जरिये अधिकाक्ता श्री रामेश्वरदयाल एड. ने शीघ्र सुनवाई क. प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीया की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश की गई। अधिवक्ता प्रतिवादिया को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादीया प्रार्थीया के खिलाफ मौजुदा वाद मे दिनांक 20.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। प्रार्थीया की गैरहाजरी जानबुझ नहीं थी। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीया की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादीया का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादीया की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादीया अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीया खातेदारी भूमि को अकृषि उपयोग में लेने को स्वीकार करते है तथा विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाना चाहते है जिस हेतु नगरपालिका चिड़ावा में भूमि के संपरिवर्तन की चाराजाही कर रखी है। प्रार्थीया प्रतिवादीया को उक्त भूमि बाबत कानूनन रूप से नियमन की कार्यवाही की जाने बाबत न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जाकर विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाये जाने का अवसर प्रदान करें। बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	